न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अ संख्या : 13/222

1. हरजी लाल ।
2. गोपाल पिसरान श्री नारायण सिंह जातियान राजपूत पेशा काश्तकारी निवासीगण ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सैविल जोन पुत्री श्री इमानुवल जोन जाति ईसाई निवासी बाटम लैवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. जोन पुत्र श्री विलियम जाति ईसाई निवासी बाटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. इमानुवल जोन पुत्र श्री जोन जुरियन जाति ईसाई निवासी बाटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 15.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.31 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज हैं जिसमें दोनों बराबर–बराबर हिस्सा है । उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करवाये और न ही प्रार्थी को बेदखल करे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.01.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.01.2013 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा करने बाबत् कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न करने का आधार बनाते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है और वे अपने कब्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह रहे थे । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन दोनों अपीलान्ट के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति होने की संभावना ही अपीलान्ट के पक्ष में है यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया जो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2013 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा होती है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में कब्जे के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का आधार बनाते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है वह पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 23.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा